पाठ–8

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव

(Social Impacts of ICT)

8.1 सूचना प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने पूरी धरती को एक गाँव बना दिया है। इसने विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक वैश्विक अर्थव्यवस्था को जन्म दिया है। सूचना क्रान्ति से समाज के सम्पूर्ण कार्यकलाप प्रभावित हुए हैं – धर्म, शिक्षा (e-learning), स्वास्थ्य (e-health), व्यापार (e-commerce), प्रशासन, सरकार (e-governance), उद्योग, अनुसंधान व विकास, संगठन, प्रचार आदि सब के सब क्षेत्रों में कायापलट हो गया है। आज का समाज सूचना समाज कहलाने लगा है।

सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। ICT ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरुक बना दिया है। आज हमारे कार्य करने का तरीका बदल चुका है। इन्टरनेट के माध्यम से आज हम ई–मेल, ऑडियो–विडियो चैटिंग, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि के द्वारा जुड़ गए हैं। आज हम पानी, बिजली, टेलीफोन आदि के बिलों का भुगतान घर बैठे कर रहे हैं। घर बैठे ही मनचाही वस्तु की खरीद कर रहे हैं तथा बस, ट्रेन, एयरोप्लेन आदि में रिजर्वेशन करवा रहे है। ICT ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस अध्याय में हम ICT के सामाजिक प्रभावों का अध्ययन करेंगे।

निजता (Secrecy)

इसे गोपनीयता भी कहा जा सकता है। निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है। किसी भी व्यक्ति को डाटा पड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि केवल डाटा पढ़ने के लिए ही अधिकृत किया गया है तो वह डाटा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता।

अधिप्रमाणन (Authentication)

अधिप्रमाणन (Authentication) से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले, उसके सम्बन्ध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना। अधिकृत करने से पूर्व यह आवश्यक है कि किसी स्रोत द्वारा आप उस व्यक्ति की पहचान की सत्यता का पता लगा लें। यह एक प्रकार की सुरक्षा का

ही तरीका है। इस तरीके का प्रयोग कर ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा व्यक्ति के अधिकृत उपयोगकर्ता होने का पता लगाया जा सकता है।

क्योंकि व्यक्ति की शारीरिक रूप से पहचान मुश्किल होती है, अतः ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड (Password) द्वारा व्यक्ति की सत्यता का पता लगता है। उपयोगकर्ता से ऐसी सूचना प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है, जो केवल उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्ञात हो। ऑपरेटिंग सिस्टम यह मान कर चलाता है कि जो व्यक्ति वह विशिष्ट सूचना देता है वास्तविक उपयोगकर्ता है।

सत्यनिष्ठा (Integrity)

सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्तकर्ता (Receiver) तक पहुँचता है वह उसी रूप में होना चाहिए, जिस रूप में उसे भेजा गया था। डाटा संचरण के समय उसमें संयोगवश या दुर्भावनावश किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इन्टरनेट पर जितना अधिक मुद्रा का विनिमय होता है, प्रमाणिकता उतनी ही कठिन हो जाती है। एक स्वतन्त्र कंप्यूटर, जो किसी नेटवर्क से नहीं जुड़ा हो और उससे सम्बंधित सभी इनपुट व आउटपुट युक्तियाँ एक सुरक्षित कक्ष में रखी हों, तो उस कम्प्यूटर को केवल अनाधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा ही नुकसान पहुँचाया जा सकता है। कम्प्यूटर के कक्ष को उपयोगकर्ता की पहचान के सत्यापन के उचित प्रबंधन द्वारा इसकी सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सकता है।

साहित्यिक चोरी (Plagiarism)

किसी लेखक द्वारा, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी (Plagiarism) कहलाती है।

यूरोप में अट्ठारहवीं शती के बाद ही इस तरह का व्यवहार अनैतिक व्यवहार माना जाने लगा। इसके पूर्व की शताब्दियों में लेखक एवं कलाकार अपने क्षेत्र के महारथियों (मास्टर्स) की हूबहू नकल करने के लिये प्रोत्साहित किये जाते थे। साहित्यिक चोरी तब मानी जाती है जब हम किसी के द्वारा लिखे गए साहित्य को बिना उसका सन्दर्भ दिए अपने नाम से प्रकाशित कर लेते हैं। इस प्रकार से लिया गया साहित्य अनैतिक माना जाता है और इसे साहित्यिक चोरी कहा जाता है।

चित्र 8.1 साहित्यिक चोरी

आज जब सूचना प्रोद्योगिकी का विस्तार तेजी से हुआ है तो साहित्यिक चोरी भी बड़ गयी है। साहित्यिक चोरी इन्टरनेट का एक सामाजिक कुप्रभाव है। आजकल इन्टरनेट पर विभिन्न सामग्री जैसे लेख, ऑडियो, विडियो, प्रेजेंटेशन, फोटोग्राफ आदि बहुतायत से और बड़ी आसानी से उपलब्ध

है। इस सामग्री की कॉपी करना, कट–पेस्ट करना एवं एडिट करना भी बड़ा आसान है, क्योंकि इन कार्यों के लिए अनेक सॉफ्टवेयर एवं टूल्स उपलब्ध हैं। इस कारण आजकल विद्यार्थियों, शोध कर्ताओं, पत्रकारों, लेखकों आदि में दूसरे के कार्य की नकल करने की प्रवृति को बड़ावा मिला है।

शोध पत्र (Research Paper) तैयार करने के लिए कई शोधार्थी अनुचित तरीके से अध्ययन सामग्री जुटाते हैं। ये शोधार्थी इस अध्ययन सामग्री को संपादित या तोड़–मरोड़ कर उसे रिसर्च पेपर के साथ अटैच कर सबमिट कर देते हैं। शोधार्थी अमूमन किसी सर्च इंजन या अन्य किताबों से अध्ययन सामग्री को कॉपी करते हैं या वहां से चुराकर उसे अपने रिसर्च पेपर में सबमिट करते हैं। रिसर्च के अलावा प्रॉजेक्ट्स और थिसिस पेपर्स में भी ऐसा ही करते हैं।

सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के विस्तार के चलते आजपूरा विश्व एक ग्लोबलविलेज में परिवर्तित हो गया है और ऐसे अनैतिक कार्य अब आसानी से पकड़ में आने लगे हैं।इस पर रोक लगाने के लिए अब अनेक सॉफ्टवेयर प्रचलन में आ गए हैं जो बड़ी आसानी से पता लगा लेते हैं कि सामग्री कहाँ से ली गयी है। किसी सन्धर्भ पुस्तक (Reference Book) से ली गयी है या किसी पुस्तक या ऑनलाइन सामग्री से कॉपी–पेस्ट की गयी है। साहित्यिक चोरी पर लगाम लगाने के उद्देश्य ये सॉफ्टवेयर बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गयी साहित्यिक चोरी अकादमिक बेइमानी (Academic Dishonesty) या शैक्षिक छल (Academic Fraud) कहलाती है। जबकि पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकार द्वारा की गयी यह चोरी पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन कहलाता है। साहित्यिक चोरी कोई अपराध नहीं है बल्कि नैतिक आधार पर अमान्य है। साहित्यिक चोरी से बचने के लिए निम्न बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिए। आपको यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि साहित्यिक चोरी क्या है। इससे आप अनजाने में किसी दूसरे के विचारों, शब्दों या किये गए कार्यों के अनैतिक उपयोग से बच जाएंगे। जो सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके स्रोत की आपको सही जानकारी होनी चाहिए।

चित्र 8.2 साहित्यिक चोरी बंद करें

कोई भी नई सामग्री तैयार करने से पूर्व उससे सबंधित सभी सूचनाओं और उसके स्रोतों से पूरी तरह से अवगत हो लेना चाहिए। यदि आप किसी सामग्री, लेख, फोटो, ऑडियो, विडियो आदि का उपयोग अपने कार्य में कर रहे हैं तो साहित्यिक चोरी व कॉपीराइट उल्लंघन से बचने के लिए आपको कॉपीराईट प्राप्त व्यक्ति, प्रकाशक या संस्था से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए तथा अपने कार्य में इस तथ्य का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

बौद्धिक सम्पदा का अधिकार (Intellectual Property Right)

बौद्धिक सम्पदा का अधिकार किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किये गए मौलिक बौधिक कार्य करने के फलस्वरूप प्राप्त कानूनी अधिकार से है। एक

कलाकार द्वारा कृत कलाकृति, संगीतकार द्वारा बनाये गए संगीत या एक कवि अथवा लेखक द्वारा लिखे गए लेख अथवा काव्य पर व्यक्ति अथवा संस्था संगठन विशेष का स्वामित्व होता है, तथा उस व्यक्ति अथवा संस्था विशेष को अपने द्वारा रचित अथवा किये गए मौलिक कौशल कार्य का लाभ लेने का अधिकार होता है। अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसके कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लिया जाए। बौद्धिक सम्पदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल या चोरी करने की प्रवृति पर रोक लगाता है। बौद्धिक सम्पदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा जिनेवा में 1967 में विश्व बौधिक सम्पदा संगठन (World Intellectual Property Organization– WIPO) की स्थापना की गयी। इसका मूल कार्य विश्वव्यापी बौद्धिक सम्पदा का संरक्षण है।

चित्र 8.3 बौद्धिक सम्पदा का अधिकार

विश्व के 184 देश बौद्धिक सम्पदा संगठन (WIPO) के सदस्य हैं। भारत भी इस संगठन का सदस्य है। यह सगठन 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है।

सन 1995 में विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation) बना। Agreement on the Trade related aspect of intellectual property rights (TRIPS) या ट्रिप्स, इस संगठन का एक समझौता है। सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, उन्हे इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौद्धिक सम्पदा अधिकार से सम्बन्धित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स मुताबिक हो जाये। कई लोगों का इसी लिये कहना है कि हम लोग कानून इसलिये नहीं बदल रहें हैं कि हमें उनकी आवश्यकता है पर इस लिये कि ट्रिप्स कहता है तथा विश्व व्यापार संगठन एवं ट्रिप्स के कारण हमने अपनी प्रभुत्ता खो दी है।

ट्रिप्स में सात तरह के बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में चर्चा की गयी है। भारत में निम्न आठ अधिनियम के अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं –

1. The Biological Diversity Act, 2002
2. The Copyright Act, 1957
3. The Design Act, 2000.
4. The Geographical Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.
5. The Patents Act, 1970.
6. The Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

7. The semiconductor Integrated circuits Layout design Act, 2000.

8. The Trade Marks Act, 1999.

इनके अलावा दो और निम्न क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बौद्धिक सम्पदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, वह हैं–

1. ट्रेड सीक्रेट

2. सविंदा कानून (Contract Act)

मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर (Open Source Software) का बौद्धिक सम्पदा अधिकार से अलग तरह का सम्बन्ध है। ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका स्रोत कोड (Source Code) सभी के लिये खुला हो। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी में रोजगार (Careers in Information Technology)

वर्तमान युग सूचना क्रांति का युग है। सूचना प्रौद्योगिकी का जिस प्रकार मानवता के उत्थान और विकास के लिए प्रयोग किया जा रहा है, उससे आज विश्व का शायद ही कोई क्षेत्र होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से अछूता रहा होगा। यही कारण है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपने रोजगार के रूप में चयन करता है तो उसके पास अनेक विकल्प मौजूद होते है। सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन करने के लिए किसी विषय विशेष का चयन करने की सीमा बंधन नहीं है। सामान्यत सभी विषय के लोग अपनी अभिरुचि तथा कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त कर सूचना प्रौद्योगिकी को रोजगार के रूप में चयन कर सकता है।

चित्र 8.4 सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार

सूचना प्रौद्योगिकी में जीवन वृत्ति के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प निम्न प्रकार है –

ग्राफिक डिजाईनर (Graphic Designer)

वेब पेज डिजाईनर (Web Page Designer)

एनिमेटर (Animator)

डेस्कटॉप पब्लिशिंग (Desktop Publishing)

नेटवर्क मैनेजर (Network Manager)

नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर (Network Adminstrator)

प्रोग्रामर (Programmer)

सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst)

कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator)

कंप्यूटर टेक्निशियन (Computer Technician)

कंप्यूटर इंजिनियर (Computer Engineer)

सॉफ्टवेयर इंजिनियर (Software Engineer)

डाटाबेस मैनेजर (Data Base Manager)

डाटा एंट्री ऑपरेटर (Data Entry Operator)

वेब डवलपर (Web Developer)

सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (System Adminstrator)

वेब प्रोग्रामर (Web Programmer)

वेब मास्टर (Web Master)

सोशल मीडिया (Social Media)

एक दूसरे से संवाद का आदान–प्रदान करने के लिए कभी कबूतरों और डाकियों के जरिये पत्र भेजे जाते थे। एक पत्र को एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचने में महीनों लग जाते थे। पत्र का जवाब पाने के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता था लेकिन आज सात समंदर पार बैठे लोगों के साथ सीधे बात की जा सकती है। अपना दुःख–दर्द साझा किया जा सकता है। अपने आसपास के माहौल से अवगत करवाया जा सकता है। कहा जाये तो आज पूरी दुनिया मुट्ठी में समा गयी है और इसका पूरा श्रेय जाता है सोशल मीडिया (Social Media) को।

ऐसी वेबसाइट और एप्लिकेशंस जो उपयोक्ताओं को सामग्रियाँ तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाये या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे उसे सोशल मीडिया कहा जाता है। सोशल मीडिया लोगों के बीच सामाजिक विमर्श है जिसके तहत वे परोक्ष समुदाय व नेटवर्क पर सूचना तैयार करते हैं, उन्हें शेयर (साझा) करते हैं या आदान–प्रदान करते हैं। कुल मिलाकर सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्किंग साइट्स ऐसा इलेक्ट्रानिक माध्यम है जिसके जरिये लोग उक्त माध्यम में शामिल सदस्यों के साथ विचारों (इसमें तस्वीरें और वीडियो भी शामिल है) का आदान–प्रदान कर सकते हैं।

विश्वभर में लगभग 200 सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिनमें फेसबुक, ट्वीटर, आर्कुट, माईस्पेस, लिंक्डइन, फ्लिकर, इंस्टाग्राम (फोटो, वीडियो शेयरिंग साइट्स) सबसे अधिक लोकप्रिय हैं। एक सर्वे के मुताबिक विश्वभर में लगभग 1 अरब 28 करोड़ फेसबुक यूजर्स (फेसबुक इस्तेमाल करने वाले) हैं। वहीं, विश्वभर में इंस्ट्राग्राम यूजरों की संख्या 15 करोड़, लिंक्डइन यूजरों की संख्या 20 करोड़, माईस्पेस यूजरों की संख्या 3 करोड़ और ट्वीटर यूजरों की संख्या 9 करोड़ है।

शुरू में ये साइट्स मध्यम वर्ग की पहुँच से दूर थे लेकिन मोबाइल फोन पर जब ये सेवाएँ मिलनी शुरू हुईं तो इस वर्ग ने इसे अपने सीने से लगा लिया। भारत में इस समय 1 करोड़ से अधिक एक्टिव फेसबुक यूजर्स हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या 10 करोड़ तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल मीडिया इन दिनों लोकप्रियता के सोपान चढ़ रही है–भारत में और भारत के बाहर भी। विशेषज्ञ मानते हैं कि सोशल मीडिया आम जनता के लिए ऐसा माध्यम है जिसके जरिये वे अपने विचार ज्यादा सशक्त तरीके से रख सकते हैं। पिछले एक दशक में कई बड़ी खबरें सोशल मीडिया के जरिये ही लाइमलाइट में आयीं। आम आदमी को सोशल मीडिया के रूप में ऐसा औजार मिल गया है जिसके जरिये वे अपनी बात एक बड़ी आबादी तक पहुँचा सकते हैं। तभी तो आम आदमी के साथ राजनेता भी फेसबुक, ट्वीटर पर आ गये हैं।

चित्र 8.5 विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स के प्रतीक चिन्ह

लोगों के संवाद करने के लिए सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। सोशल मीडिया आज बहुत ही जरूरी माध्यम हो गया है। इस माध्यम के जरिये एक बड़ी आबादी से अपने विचार साझा किये जा सकते हैं। पिछले एक दशक में इस माध्यम का काफी विस्तार हुआ है। हाल के वर्षों में कई बड़े आन्दोलन सोशल मीडिया द्वारा ही शुरू किये गये। वर्ष 2011 के जनवरी महीने में फेसबुक के द्वारा ही मिश्र में जबरदस्त आन्दोलन किया गया। ट्यूनिशिया में भी फेसबुक के जरिये ही वहाँ की सरकार के खिलाफ आम जनता लामबंद होने लगी। हालात ऐसे हो गये कि सरकार को फेसबुक और ट्वीटर अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगाना पड़ा लेकिन आन्दोलन नहीं रुका और वहाँ के प्रेसिडेंट मुबारक को मजबूर होकर इस्तीफा दे देना पड़ा।

फेसबुक ने लंबे अरसे से बिछड़े पिता–बेटी, भाई–बहन और दोस्तों को मिलवाने का भी काम किया है। कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं–अच्छा और बुरा। कई तरह की खूबियों के लिए प्रसिद्धी पाने वाली सोशल मीडिया अपवाद नहीं है। सोशल मीडिया के जरिये आपराधिक गतिविधियों को को भी अंजाम दिये जाने लगा है। वर्ष 2013 में देशभर में इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट और इंडियन पैनल कोड की धाराओं के तहत 5212 मामले दर्ज किये गये थे। इनमें से 1203 मामले सोशल साइट्स पर आपत्तिजनक सामग्रियाँ डालने से संबंधित हैं। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग येन–केन–प्रकारेण दूसरों के अकाउंट्स को हैक कर आपत्तिजनक तस्वीरें और अन्य सामग्रियाँ डालकर दुश्मनी निकाल रहे हैं। इधर, कम उम्र के बच्चों ने भी फेसबुक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिसका उन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। पिछले दिनों ऐसोचौम की ओर से किये गये एक सर्वेक्षण के मुताबिक, जितने बच्चे फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें से 73 प्रतिशत बच्चों की उम्र 8 से 13 साल (13 साल से कम उम्र के बच्चों पर फेसबुक अकाउंट खोलने पर प्रतिबंध है) के बीच है। सर्वे में कहा गया है कि अधिकांश बच्चों के परिजन नौकरी पेशा हैं और वे अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं लिहाजा ये बच्चे फेसबुक और अन्य सोशल साइट्स पर मशगूल रहने लगे हैं क्योंकि सोशल

मीडिया उन्हें एक ऐसा समाज देता है जिससे वे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं।

सोशल साइट्स के इस्तेमाल के मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी खतरनाक हैं। मनोरोग चिकित्सकों का कहना है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज्यादा इस्तेमाल करने से लोग को इसका नशा लग जाता है और वे अपने परिवार के प्रति प्रतिबद्धता छोड़कर घंटों कम्प्यूटर या मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं। सोशल मीडिया एक परोक्ष माध्यम है। इसके इस्तेमाल से लोग परोक्ष रूप से तो लोगों से जुड़े रहते हैं लेकिन वो जो असल समाज है उससे वे अलग–थलग पड़ जाते हैं। इसका असर यह होता है कि उनमें सामाजिक गुणों का विकास नहीं हो पाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया में लोग अधिक व्यस्त रहते हैं जिससे वे आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अधिक देर तक बैठे रहने के कारण कई तरह की शारीरिक बीमारियाँ भी हो जाती हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन के भी मामले खूब सामने आ रहा हैं। ऐसे कुछ मरीज 10 से 12 घंटे इंटरनेट पर बिताते हैं। यह नशा इतना सिर चढ़कर बोलता है कि वे अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं। उनके परिवार वाले जब इसका विरोध करते हैं तो वे आक्रामक हो जाते हैं और तो और अगर इंटरनेट ठीक से काम नहीं करता है तो वे गुस्से में आकर घर के सामान भी तोड़ने लगते हैं।

अनेक नगरों में सोशल मीडिया एडिक्ट के इलाज के लिए डी–एडिक्शन सेंटर खुल गए हैं। इससे स्पष्ट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बीमारी का रूप ले रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया आज लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया है लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है उससे बचने की जरूरत है क्योंकि जब किसी भी चीज का दुरुपयोग होने लगता है तो वो वरदान नहीं अभिशाप बन जाता है।

महत्वपूर्ण बिंदु

1. सूचना क्रांति का प्रभाव हमारे समाज पर स्पष्ट देखा जा सकता है। ICT ने हमारे समाज को सक्रिय व जागरुक बना दिया है।

2. निजता अथवा गोपनीयता से तात्पर्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही डाटा के उपयोग के अधिकार से है।

3. अधिप्रमाणन (Authentication) से अभिप्राय है कि जिस व्यक्ति से आप संपर्क कर रहे हैं, उसे अपने बारे में कोई भी सूचना देने या उसके साथ व्यापारिक सौदा तय करने से पहले, उसके सम्बन्ध में सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना।

4. सत्यनिष्ठा से अभिप्राय है कि जो डाटा प्राप्तकर्ता (Receiver) तक पहुँचता है वह उसी रूप में होना चाहिए, जिस रूप में उसे भेजा गया था।

5. किसी लेखक द्वारा, किसी दूसरे की भाषा, विचार, उपाय, शैली आदि का अधिकांशतः नकल करते हुए अपने मौलिक कृति के रूप में प्रकाशन करना साहित्यिक चोरी (Plagiarism) कहलाती है।

8. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक अथवा शोधार्थी द्वारा की गयी साहित्यिक चोरी अकादमिक बेइमानी (Academic Dishonesty) या शैक्षिक छल (Academic Fraud) कहलाती है।

9. बौद्धिक सम्पदा अधिकार मौलिक तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल

या चोरी करने की प्रवृति पर रोक लगाता है।

10. ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका स्रोत कूट (Source Code) सभी के लिये खुला हो।

11. ICT ने समाज के प्रत्येक वर्ग को रोजगार के बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाए हैं।

12. ऐसी वेबसाइट और एप्लिकेशंस जो उपयोक्ताओं को सामग्रियाँ तैयार करने और उसे साझा करने में समर्थ बनाये या सोशल नेटवर्किंग में हिस्सा लेने में समर्थ करे उसे सोशल मीडिया कहा जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न

1. एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करवाना कहलाता है.

(A) निजता (B) प्रमाणिकता
(C) सत्यनिष्ठा (D) साहित्यिक चोरी

2. बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापना कब हुई?

(A) 1947 (B) 1950
(C) 1967 (D) 1986

3. भारत मे ंकितने अधिनियम के अन्दर बौद्धिक सम्पदा अधिकार सुरक्षित किये गये हैं?

(A) 6 (B) 7
(C) 8 (D) 10

4. कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में समिल्लित है?

(A) डाटाबेस मेनेजर (B) वेब डेवलपर
(C) सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर (D) उक्त सभी

5. सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साईट कौन सी है?

(A) फेसबुक (B) इन्स्टाग्राम
(C) ट्वीटर (D) लिंक्ड इन

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न

1. अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं?
2. कंप्यूटर पर अधिकृत उपयोगकर्ता का पता कौन लगता है?
3. किसी लेखक द्वारा अन्य लेखक की रचना की नकल करना क्या कहलाता है?
4. ICT के विस्तार के चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया है?

5. साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
6. शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक या शोधार्थी द्वारा की गयी साहित्यिक चोरी को क्या कहते हैं?
7. बौद्धिक सम्पदा संगठन की स्थापन्ना कब हुई?
8. ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है जिसका स्रोत कोड सबके लिए खुला हो?
9. ICT क्षेत्र के किसी एक रोजगार का नाम बताइए।
10. सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साईट का क्या नाम है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1. ICT के विस्तार के चलते साहित्यिक चोरी क्यों बड़ गयी है?
2. शोधार्थी साहित्यिक चोरी किस प्रकार करते हैं?
3. साहित्यिक चोरी क्या है?
4. आप अपने लेख में दूसरे लेखक की सामग्री का उपयोग करना चाहते हैं। आप क्या करेंगे?
5. बौद्धिक सम्पदा का अधिकार क्या है?
6. WIPO का पूरा नाम बताइए।
7. TRIPS क्या है?
8. बौद्धिक सम्पदा का अधिकार की उपयोगिता बताइए।
9. ICT के क्षेत्र में आज अधिक रोजगार की संभावनाएं क्यों है?
10. सोशल मीडिया की परिभाषा लिखिए।

निबंधात्मक प्रश्न

1. साहित्यिक चोरी क्या है? इसे कैसे रोका जा सकता है?
2. बौद्धिक सम्पदा अधिकार पर निबंध लिखिए।
3. सोशल मीडिया के उपयोग के लाभ व हानियाँ बताइए।
4. ICT और रोजगार पर लेख लिखिए।
5. टिप्पणियाँ लिखिए–

   1.निजता

   2.प्रमाणिकता

   3.सत्यनिष्ठा